

प्रेस नोट-

थाना रक्सा, जनपद झाँसी

दिनांक – 31.03.2026

- जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही.
- थाना रक्सा पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार,
- गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बी.बी.जी.टी.एस. मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 31.03.2026 को थाना रक्सा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 48/2026 धारा 105 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त- **आत्माराम अहिरवार पुत्र पजनलाल उम्र 42 वर्ष, निवासी- ग्राम खैरा, थाना- रक्सा, जनपद- झाँसी** को ग्राम खैरा तिराहे से ग्राम खैरा की ओर जाने वाली सडक के किनारे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशांदेही से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त आत्माराम अहिरवार को माननीय न्यायालय झाँसी के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

आत्माराम अहिरवार पुत्र पजनलाल निवासी ग्राम खैरा थाना रक्सा झाँसी उम्र 42 वर्ष

बरामदगी का विवरण

घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एक अदद बट्टा (लोढा पत्थर का)

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम

- 1- उ0नि0 विशाल राजपूत थाना रक्सा जिला झाँसी।
- 2- उ0नि0 सूरज कुमार थाना रक्सा जिला झाँसी
- 3-का0 1037 विजय कुमार थाना रक्सा जिला झाँसी।